

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1978/फाल्गुन 13, 1899
No. 72] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1978/PHALGUNA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

सा. का. नि. 162अ/आ.ब./चीनी.—केंद्रीय सरकार, चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के
खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग के आदेश संख्या
सा.का.नि./1251/आ.ब./चीनी तारीख 30-8-1971 के आंशिक उद्घाटन में, निदेश देती है
कि कोई भी मान्यता प्राप्त संव्यवहारी किसी भी समय 5,000 (पांच हजार) क्विंटल से
अधिक खण्डसारी (ओपन पैन् शुगर) स्टॉक नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण.—संदर्भ दूर करने के लिए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि वैक्यूम पैन शुगर के लिए स्टॉक सीमा वही रहेगी जो समय-समय पर यथा गंभीरता इस विभाग के आदेश संख्या सा. का. नि./1251/आ.व./चीनी तारीख 30-8-1971 में है।

[सं. 1-16/77-एस.पी.आई. (डेस्क-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1978

G.S.R. No. 162(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in partial modification of this Department's Order No. GSR/1251/Ess. Com./Sugar dated 30-8-1971, the Central Government hereby directs that no recognised dealer shall keep in stock at any time khandsari (open pan sugar) in excess of 5,000 (Five thousand) quintals.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the stock-limits for vacuum pan sugar shall continue to be the same as specified in this Department's Order No. GSR/1251/Ess. Com./Sugar dated the 30th August, 1971 as amended from time to time.

[No. 1-16/77-SPY(Desk II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.